भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

निग 3628 I-16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

1. अनिल कुमार
2. विनोद कुमार
3. अजीत कुमार (नाबालिग) पुत्रगण विष्णु लाल बाथम सरपरस्त पिता विष्णु लाल बाथम पुत्र भगवानदास बाथम
   निवासीगण– नया पुल के पास गोहद जिला, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..........निगरानीकर्तागण

बनाम

1. काजी हाफिज हसमत अली अध्यक्ष वक्फ मुतावर गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..............प्रतिनिगरानीकर्तागण

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
19.10.16

निगरांनी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 61/15–16 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1 यहकि, अनावेदक क. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगना गोहद जिला भिण्ड की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1256, 1257 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा के सीमांकन हेतु एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगना गोहद जिला भिण्ड के समक्ष दिनांक 05.01.16 को प्रस्तुत किया गया था । उक्त आवेदन पत्र पर से अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर सीमांकन कार्यवाही हेतु सहायक अधीक्षक भू अभिलेख अनुभाग गोहद जिला भिण्ड को अधीनस्थ न्यायालय एवं कलेक्टर महोदय के पत्र क. /क्यू–8/भू. आ./पे.नि./2015 क.130 दिनांक 29.01.16 के पालन में सीमांकन की कार्यवाही शुरू की गई ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3828-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	